शिक्षा ऋण पर केंद्रीय ब्याज उपदान योजना

1. योजना का उद्देश्य :

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय ब्याज उपदान योजना तैयार की है. योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये है) को XII वीं कक्षा के बाद भारत में अनुमोदित तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शिक्षा ऋण की अधिस्थगन अवधि के लिए **पूर्ण ब्याज अनुदान** उपलब्ध कराना है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए केनरा बैंक को नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया है.

2. योजना की प्रमुख बातें :

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण
1	लक्ष्य ग्राहक	• आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र (जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये है) • XII वीं कक्षा के बाद भारत में अनुमोदित तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया हो.
2	पात्रता	• आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये है. योजना के अनुसार अभिभावकों के आय संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन जिला/ उप-जिला/ ब्लॉक आदि स्तर पर जिला स्तरीय परामर्श समिति (डीएलसीसी) द्वारा विनिर्दिष्ट / नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा. शाखाएं/ आरएसी ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों की सूची के लिए संबंधित डीएलसीसी से संपर्क करें. • XII वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भारत में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित (सूची संलग्न -**अनुबंध I**) शैक्षणिक संस्थाओं, संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं (सूची संलग्न-**अनुबंध II**), भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) व केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य संस्थानों में तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया हो. • यह योजना शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए 01 अप्रैल 2009 को या इसके बाद किए गए संवितरणों पर लागू

		होगी, भले ही मंजूरी की तारीख़ कोई भी हो. 1.4.2009 के पूर्व मंजूर किए गए ऋणों तथा शैक्षणिक सत्र 2009-10 से पूर्व शुरू हो चुके पाठ्यक्रमों के लिए ब्याज उपदान 1.4.2009 के बाद किए गए संवितरणों पर ही उपलब्ध होगा.
3	सहायता की सीमा	ऋण अधिस्थगन अवधि के दौरान उपचित संपूर्ण ब्याज.
4	अपफ्रंट/ प्रोसेसिंग शुल्क	अपफ्रंट/ प्रोसेसिंग शुल्क आईडीबीआई बैंक की मौजूदा शैक्षणिक ऋण नीति के अनुसार होगा.
5	ब्याज दर	ब्याज दरें आईडीबीआई बैंक की मौजूदा शैक्षणिक ऋण नीति के अनुसार होंगी.
6	प्रतिभूति	आईडीबीआई बैंक की मौजूदा शैक्षणिक ऋण नीति के मानदंडों के अनुसार.
7	अन्य शर्तें व निबंधन	• योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ऋण-स्थगन अवधि के दौरान (अर्थात् पाठ्यक्रम की अवधि + एक वर्ष अथवा नौकरी मिलने के छः माह बाद, जो भी पहले हो) पूर्ण ब्याज उपदान दिया जाएगा. ऋण-स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान विद्यार्थी द्वारा आईबीए की मौजूदा व समय समय पर यथासंशोधित शैक्षणिक ऋण योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा. • योजना के अंतर्गत ब्याज उपदान का लाभ पात्र विद्यार्थी को केवल एक बार या तो स्नातक पाठ्यक्रम के लिए या फिर स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा के लिए मिलेगा. तथापि संयुक्त स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ब्याज उपदान प्राप्त हो सकेगा. • इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपदान ऐसे छात्रों को नहीं मिलेगा, जो पाठ्यक्रम के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हों या जिन्हें अनुशासनात्मक या शैक्षणिक आधार पर संस्थानों से निकाल दिया गया हो. तथापि जहाँ पढ़ाई चिकित्सकीय आधार पर छोड़ी गई हो, वहाँ शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा संतोषप्रद समझे गए दस्तावेजों के आधार पर पढ़ाई की वास्तविक अवधि के लिए उपदान उपलब्ध रहेगा.

		• बैंक पात्र शैक्षणिक ऋण खातों पर मासिक आधार पर ब्याज लगाएगा (आरबीआई मानदंडों के अनुसार). • ब्याज उपदान योजना ईडब्ल्यूएस से संबद्ध अन्य योजनाओं से बिल्कुल अलग होगी. • यह योजना शैक्षणिक सत्र 2009-10 से अर्थात 1 अप्रैल 2009 से पूर्व प्रभावी होगी.

- *अधिक जानकारी के लिए कृपया आईडीबीआई बैंक की नज़दीकी शाखा/ रिटेल असेट सेंटर से संपर्क करें.*
- *फिलहाल यह सुविधा केवल साइट पर रखी गई सूची में उल्लिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ही उपलब्ध है.*
- *विस्तृत जानकारी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in देखें.*

3. अतिरिक्त दस्तावेजीकरण

ब्याज उपदान योजना के अंतर्गत लिये जानेवाले अन्य दस्तावेज़ निम्नानुसार हैं:

1. आवश्यक जानकारी लेने के लिए विधिवत भरा हुआ ब्याज उपदान आवेदन फॉर्म.
2. चूंकि यह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए है, आय प्रमाण को संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा.आरएसी / शाखाओं को इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण प्रस्ताव (मौजूदा और नये दोनों) प्राप्त करते समय आवेदक से उक्त प्रमाणपत्र लेना हो गा. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का निर्धारण करने के उद्देश्य से उक्त योजना के अंतर्गत आय दस्तावेज़ों को प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची **अनुबंध -IV** में दी गई है.
3. आईडीबीआई बैंक और विद्यार्थी उधारकर्ता के बीं लागू स्टैम्प पेपर पर अलग करार का निष्पादन किया जाएगा (**अनुबंध - V**).
4. शेष दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया हमारे बैंक की मौजूदा शिक्षा ऋण योजना के अनुसार रहेगी.

अनुबंध।

I.संसद के अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय / संस्थान के सूची:

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय / संस्थान के नाम
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय
2.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
3.	जामिया मिलिया इस्लामिया
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
5.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
6.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
7.	विश्व-भारती
8.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
9.	पाँडीचेरी विश्वविद्यालय
10.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी
11.	असम विश्वविद्यालय
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय
13.	नागालैंड विश्वविद्यालय
14.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
15.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय
16.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
17.	मिजोरम विश्वविद्यालय
18.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय
19.	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)
20.	दि इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया (आईसीएसआई)
21.	दि कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्युएआई)

<u>अनुबंध II</u>

II. सांविधिक परिषदों की सूची

क्रम संख्या	सांविधिक परिषदें
1.	केंद्रीय अनुदान आयोग (यूजीसी)
2.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)
3.	दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी)
4.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
5.	बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)
6.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)

7.	भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)
8.	भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई)
9.	भारतीय फार्मेसी परिषद (पीसीआई)
10.	भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी)
11.	भारती डेंटिस्ट परिषद (डीसीआई)
12.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच)
13.	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम)

अनुबंध III

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

आवेदन फॉर्म

शिक्षा ऋण पर ब्याज उपदान (सब्सिडी) प्रदान करने के लिए केन्द्रीय योजना

क्र सं	आवेदक /कों के ब्योरे	कैरेक्टर/राशि (रु.)
ए. आवेदक/कों दवारा भरा जाए:		
1.	उधारकर्ता / ऋणी छात्र का नाम	
2.	अंडरग्रेजुएट (यू) / स्नातकोत्तर (पी)	
3.	प्रोफेशनल कोर्स इंजीनियरिंग / मेडिकल / विधि/ प्रबंधन / नर्सिंग / अन्य व्यावसायिक / तकनीकी / (कृपया उल्लेख करें)	
4.	संस्था / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम	
5.	संस्था / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय की संबद्धता / एक्रीडिएशन (शाखा / आरएसी द्वारा फिर से जांच की जाए)	
6.	अगर अल्पसंख्यक - (एम) मुसलमान / (सी) क्रिश्चन / (एस) सिक्ख / बौद्ध / जोरास्ट्रियन	
7.	लिंग - - पुरुष (एम) / महिला (एफ)	
8.	श्रेणी -एससी/ एसटी / ओबीसी / सामान्य	
9.	जिला	
10	राज्य	
11	क्षेत्र - (यू) शहरी / (एस) उप नगरीय / (आर) ग्रामीण / (एम) महानगर(मेट्रो)	
12	माता पिता की आय (रु. में)	
13	आय प्रमाण पत्र सं / दिनांक	
14	यदि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो क्या अंडर ग्रैजुएट पढ़ाई के समय इस योजना के तहत सब्सिडी ली थी (हां / नहीं)	
15	शारीरिक रूप से अक्षम / विकलांग (हां / नहीं)(यदि हां (वाय) चिकित्सक के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लगाएं	
16	असाधारण मामले - वर्ष में पाठ्यक्रम की अवधि में विस्तार	
17	सब्सिडी का लाभ उठाया / अन्य योजना के तहत दावा किया है, यदि कोई हो (राशि रु. में)	

घोषणा

- मुझे / हमें बैंकों के नियम और विनियमन और शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि के लिए ब्याज उपदान प्रदान करने संबंधी केन्द्रीय योजना के बारे में विवरण एवं पूर्ण जानकारी मिली है.

- मैं / हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं / हम उक्त ब्याज उपदान योजना के तहत ब्याज उपदान के लिए पात्र हैं और एतद्द्वारा बैंक से अनुरोध करते हैं कि मुझे / हमें उक्त योजना के अंतर्गत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेरे / हमारे आवेदन पर कार्रवाई करें.
- मैं / हम घोषणा करता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और यह आवेदन उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से मेरे / हमारे शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान प्रतिपूर्ति का दावा करने का आधार बनेगा.
- मैं / हम में दिए गए उपरोक्त विवरण और जानकारी में किसी भी परिवर्तन के मामले में बैंक को तुरंत सूचित करूंगा/करेंगे.
- मैं / हम बैंक द्वारा की मांग की जाने पर कोई भी अतिरिक्त जानकारी और / या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए सहमत हैं .
- मैं / हम मेरे /हमारे से संबंधित जानकारी मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित किसी सुविधा का प्रकटीकरण विनयामकों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक , क्रेडिट इंफरमेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, योजना के अधीन नियुक्त नोडल एजेंसी , राज्य सरकार, भारत की केंद्र सरकार अथवा अन्य विनियामक एजेंसी आदि को करने के लिए मेरे / हमारे सहमति प्रदान करते हैं.
- मैं / हम में से कोई बैंक या किसी भी बैंकिंग कंपनी का भागीदार/ निदेशक अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी / निदेशक का निर्दिष्ट नज़दीकी रिश्तेदार नहीं हूं . (यदि हां रिश्तेदारी का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए)

आवेदक के हस्ताक्षर **सह आवेदक के हस्ताक्षर**

दिनांक:

स्थान:

बी. शाखा / आरएसी द्वारा भरा जाए:		
18.	खाता संख्या	
19.	ऋण सीमा	
20.	2009-10 के दौरान वितरित ऋण की राशि (रु.)	
21.	बैंक कोड	
22.	शाखा कोड	
23.	शाखा आईएफएससी कोड	

शाखा / आरएसी द्वारा जांच की गई (आरएसी द्वारा केवल आरएसी सोर्स मामलों जांच की जाए)

शाखा प्रमुख / आरएसी प्रमुख का स्टैम्प और हस्ताक्षर

आरएसी द्वारा सत्यापित (केवल शाखा द्वारा सोर्स मामलों में)

आरएसी प्रमुख का स्टैम्प और हस्ताक्षर

अनुबंध IV

शिक्षा ऋण पर ब्याज उपदान उपलब्ध कराने की केन्द्रीय योजना के लिए आय दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची

शिक्षा ऋण पर ब्याज उपदान उपलब्ध कराने की केन्द्रीय योजना के लिए भारतीय बैंक संघ से प्राप्त आय दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची (यथा आज की तारीख तक) वेबसाइट पर दी गई है.

Annexure V

AGREEMENT

(To be stamped as an Agreement)

(Between the Borrowers of Educational Loan and the Bank)

This Agreement for availing of interest subsidy under the Central Sector Scheme of Interest Subsidy on Student's Loan/Education Loan for Professional Education in India made at __________ on this _______ day of ________ in the year __________.

BETWEEN

1. Sri/Smt. ____ (Parent/ Guardian) S/o D/o ____ aged _______years, residing at ____.

2. Sri/Smt ____-______________________ (Student) S/o D/o ____ aged _______ years, residing at ____.

Parent/Guardian and Student are hereinafter jointly called the Borrowers and individually as Borrower of the FIRST PART (which term wherever the context so requires or admits shall also include his/her/their heirs, executors, administrators and legal representatives and permitted assigns).

AND

IDBI Bank Limited, a company incorporated and registered under the Companies Act, 1956 and a banking company within the meaning of Section 5 (c) of the Banking Regulation Act, 1949 and having its Registered Office at IDBI Tower, WTC Complex, CuffeParade, Mumbai - 400 005 and branch offices among other places at ___________________________________ herein called as the "Bank" (which expression wherever the context so requires or admits shall also include its successors and assigns.) of the OTHER PART Borrowers and the Bank shall be individually referred to herein as a 'Party' and collectively as 'Parties'.

WHEREAS

1. The Borrowers availed/intend to avail Educational Loan from the Bank and the Bank sanctioned ₹ ____________________ (**Rupees** ____)
as Educational Loan for pursuing technical/professional education in India on the terms and conditions contained in the Educational Loan Agreement dated _________________ executed between the Parties. The Borrowers have also executed/ shall execute the documents and/or security/ies as per the Educational Loan Scheme of the Bank.

2. Integrated Finance Division, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India (MoHRD) has come out with a Central Scheme (hereinafter called "the Interest Subsidy Scheme") to provide interest subsidy for the period of moratorium (ie., course period, plus one year or six months after securing the job, which ever is earlier) on the education loans availed by students having lower than a specified parental income as decided by the MoHRD in the said Interest Subsidy Scheme for pursuing professional education in India, during their study /repayment holiday, from the Academic Year 2009-2010.

3. The Borrowers represented that they are eligible for interest subsidy under the said Interest Subsidy Scheme and requested the Bank to submit their claim to MoHRD or any other agency specified under the Interest Subsidy Scheme to get such benefit to them.

4. Based on the representation by the Borrowers, the Bank agrees to process their application/submit their claim to MoHRD or any other agency specified under the Interest Subsidy Scheme to avail the benefit under the said Interest Subsidy Scheme to the Borrowers and the Parties hereto desire to enter into an agreement setting out the terms and conditions as hereinafter appearing, in addition to the loan/security documents executed /to be executed by the Borrower/s.

IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES AND THIS DEED WITNESSETH FOLLOWS:

1. The Borrowers hereby covenant that :

a) They have read and understood the Interest Subsidy Scheme of the MoHRD which is enclosed as part of this Agreement and declare and affirm that they are eligible for the interest subsidy under the said Interest Subsidy Scheme.

b) They shall produce all proof and documents including but not limited to the economic background of the Borrowers, course of studies, etc or any other further/ supporting documents as required by the Bank/ MoHRD to consider the benefit under the Interest Subsidy Scheme.

c) The Bank has no obligation or liability on any reason what so ever if the Borrowers are not considered for interest subsidy under the Interest Subsidy Scheme or the Interest Subsidy scheme is withdrawn or modified.

c) All the clauses contained in the Educational Loan Agreement or any other documents executed by them shall be binding on them and this is in addition to the covenants/ clauses contained in the said Educational Loan Agreement and the documents/securities executed thereto . In the event of any conflict between this Agreement and the Educational Loan Agreement, the provisions of the Educational Loan Agreement shall prevail.

d) That they shall return/ refund the amount received towards interest subsidy under the Interest Subsidy Scheme, with applicable rate of interest then prevailing, forthwith on a mere demand by the Bank under the following circumstances:

i) if MoHRD or the Bank finds at any time that the Borrowers are not eligible for interest subsidy under the Interest Subsidy Scheme; or
ii) if it is found that the representations made or document(s) submitted for claiming interest subsidy is false or incorrect or forged ; or

iii) if Borrower/s fail/s to furnish the documents/ information, which they are called upon to furnish by the Bank/MoHRD; or

iv) if Borrower/s commit/s breach of any of the covenants herein contained, or the terms and conditions of the Interest Subsidy Scheme, as amended from time to time, or on any of the declarations made by the Borrower/is found false/incorrect; or

v) if Borrower/s commit breach of any of the covenants contained in the Educational Loan Agreement or any other document/s executed by the Borrower/s; or

vi) if the Borrower/s discontinue the said professional education in India; or

vii) any other reason by which the Bank recalls the said Educational Loan. Or

viii) any other reason as per the Interest Subsidy Scheme or communicated by MoHRD/other agency of MoHRD.

The Bank shall also have the right to recall the Educational Loan , if the said refund is not made within the period stipulated by the Bank in its demand, besides the right (a) not to claim further reimbursement from MoHRD and (b) treat the same as an outstanding under the Educational Loan..

e) That they shall directly take up with MoHRD, in case of rejection of their interest subsidy claim submitted to the Bank and the Bank shall not be made a party to the same. The Borrowers shall, on receipt of such intimation from the Bank/MoHRD/nodel agency, submit further clarification/documents, if any, required by the MoHRD/nodel agency directly to them.

f) That they shall comply with and faithfully observe all the terms and conditions of the said Interest Subsidy Scheme and also all the subsequent amendments and modifications and additions thereto together with the conditions of the sanction of the said Educational Loan.

g) The Bank shall not be responsible for rejection of the claim submitted by the Borrower, for whatever the reason, by MoHRD or any other nodal agency as specified in the Interest Subsidy Scheme.

That they shall bear all expenses required in connection with the execution of this Agreement or enforcement of its terms and conditions.

The obligations of Borrowers under this Agreement shall be joint and several and shall be binding on their legal heirs and administrators

IN WITNESS WHEREOF THE BORROWERS and the BANK have here upto set their respective hands on the day and place mentioned above –

BORROWER **FOR BANK**

1. ____ ___________

____

2. ____

____

(If the student is a minor, signature of Student and father are to be obtained here. The father will also sign as guardian).